



सेवा में,

1. श्री/ श्रीमति रवि नन्दन प्रसाद,
2. श्री राज नन्दन प्रसाद
पता-एस0 पी0 वर्मा रोड,
थाना-गाँधी मैदान,
पटना, बिहार

विषय :- प्लॉन केस सं0-P/Khajepura-PCN-2B+G+5/552/2017 की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P/ Khajepura-PCN-2B+G+5/552/2017 दिनांक 29.11.2017 के संदर्भ में श्री रवि नन्दन प्रसाद, 2. श्री राज नन्दन प्रसाद, पता एस0 पी0 वर्मा रोड, पटना, बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना/ आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम के कैडेस्ट्रल सर्वे प्लॉट सं0-1036, खाता संख्या-126,141,138,162,362, तौजी सं0-11, मौजा-खाजेपुरा, थाना सं0-11, सर्वे थाना-फुलवारी, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1824.25 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 42.85 मीटर से 42.85 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/ आयोजना प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 303.85 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/ हक/ हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ज) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/ कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/ कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/ विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप ग्रीन-एरिया का प्रावधान निर्माण परिसर में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (ण) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,


01/11/18

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।


01.11.18

पटना नगर निगम

پٹنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सेवा में,



Letter No. / पत्रांक: ...10742...

Date / दिनांक: 03.11.2018...

1. श्री/ श्रीमति रवि नन्दन प्रसाद,
2. श्री राज नन्दन प्रसाद
पता-एस0 पी0 वर्मा रोड,
पटना, बिहार
2. वास्तुविद्/ अभियंता श्री/ शैलेश रंजन,
निबंधन संख्या-ER/19/2016,
पटना नगर निगम।

विषय :- प्लॉन केस सं0- P/ Khajepura-PCN-2B+G+5/552/2017 के निबंधित वास्तुविद्/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 8.19 वर्ग मीटर एवं सड़क चौड़ीकरण हेतु 8.19 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण हेतु 142.46 वर्ग मीटर भू-पट्टी तथा अतिरिक्त भू-पट्टी 161.39 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़ कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि, 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद्/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान सड़क चौड़ीकरण हेतु 142.46 वर्ग मीटर भू-पट्टी तथा अतिरिक्त भू-पट्टी 161.39 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद्/ अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका-13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद्/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद्/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद्/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

01.11.18